

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.  
Camp - Pucci

वादपत्र संख्या 07/2018

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अरविन्दकुमार आत्मज श्री राजेन्द्रकुमार, जाट, मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमती सरोज धर्मपत्नी श्री राजेन्द्रकुमार, जाट, मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. संदीपकुमार आत्मज श्री आत्माराम, जाट, मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र,
2. आत्माराम आत्मजन श्री रामप्रताप, जाट, मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. श्रीमती बिमलादेवी आत्मजा श्री रामप्रताप धर्मपत्नी श्री राजेन्द्रकुमार, जाट मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. श्रीमती मोहिनीदेवी आत्मजा श्री रामप्रताप धर्मपत्नी श्री जगदीशकुमार, जाट, 665 कांता कथूरिया कालोनी, बीकानेर,
5. श्रीमती सुमिादेवी आत्मजा श्री रामप्रताप धर्मपत्नी श्री किशन सिहाग, 665 कांता कथूरिया कालोनी, बीकानेर,
6. अर्पिता आत्मजा श्री राजेन्द्रकुमार, जाट, मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
7. अक्षिता आत्मजा श्री राजेन्द्रकुमार, जाट, मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
8. जयपाल आत्मज श्री आत्माराम, जाट मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
9. सुमन आत्मजा श्री आत्माराम, जाट मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
10. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री संजय जनवेजा (वादी)  
श्री रोबिन गुम्बर (प्रतिवादी-1से5)  
पैरोकार राज (प्रतिवादी-10)

दिनांक 16 मई, 2018

- निर्णय -

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 7 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 26 की 5.566 हैक्टर, मुरब्बा

नम्बर 41 की 0.342 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 42 की 2.530 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 67/19 की 0.038 हैक्टर खाल कुल 8.476 हैक्टर एवं इसी चक के खाता संख्या 41 के मुरब्बा नम्बर 26 की 0.380 हैक्टर, चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 29 मुरब्बा नम्बर 60 की कुल 1.239 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 61 की 2.150 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 66 की 0.303 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 67 की 3.920 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जो कि पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को प्राप्त हुई है. प्रतिवादी संख्या 3 से 5 वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण से प्राकृतिक स्नेह रखती हैं तथा उल्लेखित पैतृक सम्पत्ति में से अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती इसलिये उनके द्वारा मौखिक रूप से अपने हिस्सा का परित्याग किया हुआ है. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने अपने नाम पर दर्ज कृषि भूमि का घरू मौखिक बंटवारा वादीगण के साथ किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी संख्या 1 को चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 16 से 18, किला नम्बर 19(0.063), किला नम्बर 22(0.063), किला नम्बर 23 से 25 कुल 1.644 हैक्टर, वादी संख्या 2 को चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 4, 7, 14 एवं 17 कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि दी गयी इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी संख्या 3 को चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 6 से 9 कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि दी हुई है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण को कथन किये गये कि जब भी वे चाहेंगे, सहमति से विभाजन उनके नाम पर करवा देंगे, इसी विश्वास पर वादीगण द्वारा अपने अपने हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि पर बड़ी मेहनत करके एवं काफी राशि का व्यय कर सुधार कार्य करवाये गये हैं. उल्लेखित कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी होने के कारण वादीगण को हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि उनके नाम पर दर्ज नहीं होने से वादीगण विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं इसलिये कुछ दिवस पूर्व वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कथन किये गये कि घरू बंटवारानुसार वादीगण के हिस्सा में दी गयी कृषि भूमि उनके नाम पर दर्ज करवा दें, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा टालमटोल करते हुऐ उदिनांक 5 जनवरी, 2018 को इन्कार हो गये इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण को उनका हक व न्याय नहीं देना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में, उल्लेखित पैतृक सम्पत्ति में से वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते हैं इसलिये वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. इस प्रकार वादीगण द्वारा वादी संख्या 1 को चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 16 से 18, किला नम्बर 19(0.063), किला नम्बर 22(0.063), किला नम्बर 23 से 25 कुल 1.644 हैक्टर, वादी संख्या 2 को चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 4, 7, 14 एवं 17 कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि दी गयी इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी संख्या 3 को चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 6 से 9 कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर किलावाईज विभाजन कर वादीगण के नाम पर दर्ज कर पृथक से लगान कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के

समर्थन में चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22/24 की जमाबन्दी सम्बत् 2066-2069, चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 29/31 की जमाबन्दी सम्बत् 2068-2071, चक 7 डी बड़ी के नामान्तरकरण संख्या 524, चक 2 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 452 की प्रमाणित चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयीं.

प्रतिवादी संख्या 1 से 9 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 10 राज्यपक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित.

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 30 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 9329 0552 9673, वादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 7948 7551 1789, वादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 6253 9075 4100 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 2016 5993 8270, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4823 1546 6155, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 3020 3206 6007, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4556 9520 8921, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 3074 6980 2787, प्रतिवादी संख्या 6 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4830 1099 5589, प्रतिवादी संख्या 7 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 9377 9996 5603, प्रतिवादी संख्या 8 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 6369 8009 6114 एवं प्रतिवादी संख्या 9 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 5561 5295 7369 की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयीं. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 10 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 9 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण को प्रतिवादीगण से पैतृक सम्पत्ति प्राप्त करने के विधिक अधिकार प्राप्त होने के तथ्य अंकित किये गये.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत जवाब राज्यपक्ष के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं रहा. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 द्वारा राजीनामा के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र के अनुसार वे प्रश्नगत कृषि भूमि में से प्राकृतिक स्नेहवश कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपने अपने हिस्सा का परित्याग करती हैं, के तथ्य अंकित किये गये हैं.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है.

ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत अभिलेख चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22/24 की जमाबन्दी सम्बत् 2066-2069, चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 29/31 की जमाबन्दी सम्बत् 2068-2071, चक 7 डी बड़ी के नामान्तरकरण संख्या 524, चक 2 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 452 से सिद्ध है कि प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसे वादीगण को विभाजित करवाने का अधिकार उपलब्ध है. इस प्रकार, वादी संख्या 1 श्री अरविन्दकुमार चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 16 से 18, किला नम्बर 19(0.063), किला नम्बर 22(0.063), किला नम्बर 23 से 25 कुल 1.644 हैक्टर, वादी संख्या 2 श्रीमती सरोज चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 4, 7, 14 एवं 17 कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि एवं वादी संख्या 3 को चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 6 से 9 कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 श्री राजेन्द्र चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 1(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 2(0.114) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 24 एवं 25 कुल 1.518 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 67/19(0.038) हैक्टर खाल एवं चक नम्बर 2 एच बड़ा के खाता संख्या 29 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 1(0.227) हैक्टर, किला नम्बर 10, 11, 20, 11 कुल 1.239 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 16(0.013) हैक्टर, किला नम्बर 25(0.253) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 66 किला नम्बर 5(0.164) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 67 किला नम्बर 1(0.228) हैक्टर, कुल 3.795 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 श्री आत्माराम चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 41 मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 1/2(0.127) हैक्टर, किला नम्बर 2(0.253) हैक्टर कुल 0.380 हैक्टर, खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 3(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 4(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 10 से 15(1.518) हैक्टर, किला नम्बर 19(0.190) हैक्टर, किला नम्बर 20, 21(0.506) हैक्टर, किला नम्बर 22(0.190) हैक्टर, चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 29 मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 5/2(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 6(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 7/1(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 14(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 15(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 16(0.240) हैक्टर, किला नम्बर 17(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 23(0.127) हैक्टर, किला नम्बर 24(0.253) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 66 किला नम्बर 3(0.038) हैक्टर, किला नम्बर 4(0.101) हैक्टर कुल 5.313 हैक्टर कृषि भूमि के विभाजन की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं.

॥ आदेश ॥

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यापालक दण्डनायक  
(फ़ास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनाम दिनांक 30 जनवरी, 2018 के अनुसार वादी संख्या 1 श्री अरविन्द कुमार को - चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 16 से 18, किला नम्बर 19(0.063), किला नम्बर 22(0.063), किला नम्बर 23 से 25 कुल 1.644 हैक्टर, वादी संख्या 2 श्रीमती सरोज को - चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 4, 7, 14 एवं 17 कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि एवं वादी संख्या 3 श्री संदीप कुमार को - चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 6 से 9 कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 श्री राजेन्द्र को - चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 1(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 2(0.114) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 24 एवं 25 कुल 1.518 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 67/19(0.038) हैक्टर खाल एवं चक नम्बर 2 एच बड़ा के खाता संख्या 29 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 1(0.227) हैक्टर, किला नम्बर 10, 11, 20, 11 कुल 1.239 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 16(0.013) हैक्टर, किला नम्बर 25(0.253) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 66 किला नम्बर 5(0.164) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 67 किला नम्बर 1(0.228) हैक्टर, कुल 3.795 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 श्री आत्माराम को - चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 41 मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 1/2(0.127) हैक्टर, किला नम्बर 2(0.253) हैक्टर कुल 0.380 हैक्टर, खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 3(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 4(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 10 से 15(1.518) हैक्टर, किला नम्बर 19(0.190) हैक्टर, किला नम्बर 20, 21(0.506) हैक्टर, किला नम्बर 22(0.190) हैक्टर, चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 29 मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 5/2(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 6(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 7/1(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 14(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 15(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 16(0.240) हैक्टर, किला नम्बर 17(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 23(0.127) हैक्टर, किला नम्बर 24(0.253) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 66 किला नम्बर 3(0.038) हैक्टर, किला नम्बर 4(0.101) हैक्टर कुल 5.313 हैक्टर कृषि भूमि विभाजन कर खातेदार घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय कैम्प - ग्राम पक्की में आज दिनांक 16 मई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

( यशपाल शर्मा )  
 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
 श्रीगंगानगर  
 कार्यालयिक टिपडनायक  
 Camp - Pucci  
 ( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

1. अरविन्दकुमार आत्मज श्री राजेन्द्रकुमार, जाट, मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमती सरोज धर्मपत्नी श्री राजेन्द्रकुमार, जाट, मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. संदीपकुमार आत्मज श्री आत्माराम, जाट, मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र,
2. आत्माराम आत्मजन श्री रामप्रताप, जाट, मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. श्रीमती बिमलादेवी आत्मजा श्री रामप्रताप धर्मपत्नी श्री राजेन्द्रकुमार, जाट मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. श्रीमती मोहिनीदेवी आत्मजा श्री रामप्रताप धर्मपत्नी श्री जगदीशकुमार, जाट, 665 कांता कथूरिया कालोनी, बीकानेर,
5. श्रीमती सुमिादेवी आत्मजा श्री रामप्रताप धर्मपत्नी श्री किशन सिहाग, 665 कांता कथूरिया कालोनी, बीकानेर,
6. अर्पिता आत्मजा श्री राजेन्द्रकुमार, जाट, मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
7. अक्षिता आत्मजा श्री राजेन्द्रकुमार, जाट, मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
8. जयपाल आत्मज श्री आत्माराम, जाट मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
9. सुमन आत्मजा श्री आत्माराम, जाट मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
10. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 07/2018


अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी-10) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि -


वादी संख्या 1 श्री अरविन्दकुमार को - चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 16 से 18, किला नम्बर 19(0.063), किला नम्बर 22(0.063), किला नम्बर 23 से 25 कुल 1.644 हैक्टर, वादी संख्या 2 श्रीमती सरोज को- चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 4, 7, 14 एवं 17 कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि एवं वादी संख्या 3 श्री संदीपकुमार को - चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 6 से 9 कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 श्री राजेन्द्र को - चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 1(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 2(0.114) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 24 एवं 25 कुल 1.518 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 67/19(0.038) हैक्टर खाल एवं चक नम्बर 2 एच बड़ा के खाता संख्या 29 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 1(0.227) हैक्टर, किला नम्बर 10, 11, 20, 11 कुल 1.239 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 16(0.013) हैक्टर, किला नम्बर 25(0.253) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 66 किला नम्बर 5(0.164) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 67 किला नम्बर 1(0.228) हैक्टर, कुल 3.795 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 श्री आत्माराम को - चक 7 डी बड़ी के खाता संख्या 41 मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 1/2(0.127) हैक्टर, किला नम्बर 2(0.253) हैक्टर कुल 0.380 हैक्टर, खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 3(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 4(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 10 से 15(1.518) हैक्टर, किला नम्बर 19(0.190) हैक्टर, किला नम्बर 20, 21(0.506) हैक्टर, किला नम्बर 22(0.190) हैक्टर, चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 29 मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 5/2(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 6(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 7/1(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 14(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 15(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 16(0.240) हैक्टर, किला नम्बर 17(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 23(0.127) हैक्टर, किला नम्बर 24(0.253) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 66 किला नम्बर 3(0.038) हैक्टर, किला नम्बर 4(0.101) हैक्टर कुल 5.313 हैक्टर कृषि भूमि विभाजन कर खातेदार घोषित किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते...शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य.....दर वार्षिक ...शून्य.....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16 मई, 2018 को जारी की गयी.

  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीगंगानगर.

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

  
सहायक कलक्टर एवं  
कार्यापालक दण्डनायक  
( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर